श्रम विभाग

दिनांक 22 मई 1986

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/11-86/17572.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ठेकेदार अब्दुल हमीद मार्फत मै० भाई सुन्दर दास एण्ड सन्ज प्रा० लि०, 21/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री कैलाश, पुत्र श्री गुरदीन मार्फत सीटू आफिस, 2/7 गोपी कालोनी पुराना फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री कैलाश, पुत्र श्री गुरदीन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ० डी०/13-83/17578.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय हैं कि मै० युनिवर्सल इलैक्ट्रीक्स लि०, 20/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री वी. के. मिश्र, मार्फत श्री एल. एन. यादव, एम. बी.-102 मुजेसर फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री बी. के. मिश्र, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/पानी/130-86/17584.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) दी इन्द्री कैन ग्रोवर सोसायटी लि०, गांव व डा० इन्द्री, जिला करनाल, (2) कैन कमीश्नर एण्ड सचिव, शुगर कैन कन्ट्रोल बोर्ड, हरियाणा कार्यालय निदेशक एग्रीकल्चर, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री नसीब सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामल में कोई औद्योगिक विवाद है ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री नसीब सिंह, पुत्र श्री साधु राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/46-86/17591.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० कलच आटो लि०, 12/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री महेन्द्र सिंह नागर, पुत्र श्री बीर नारायण गांव तथा पोस्ट नीमका, तहसील बल्लबगढ़, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री महेन्द्र सिंह नागर, पुत्र श्री वीर नारायण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/5-86/17597.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० फरीदाबाद फोजिंग प्रा० लि०, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सत्यावीर सिंह, मार्फत हिन्द मजदूर सभा, 29-शहिद चौक, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद हैं;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त तथा उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सत्यावीर सिंह; पुत्र श्री भरत सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं०ओ०वि०/एफ० डी०/6-86/17603.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० बरमाकों फैबरीकेटरस, सैक्टर-6, फरीदाबाद, प्लाट नं० 78, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री गुरु प्रसाद मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन, 2/7, गोपी कालोनी, फरीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री गुरु प्रसाद, पुत्र श्री नत्थी लाल की छंटी नियमानुसार की गई ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ.डी./6-86/17610.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० बैरमाकों फैबरीकेटरस (वाल्व) डिविजन, प्लाट नं० 78, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रामदेव मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन, 2/7, गोपी कालोनी, पुराना फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून,

1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त, अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रामदेव, पुत्र श्री वारु प्रसाद की छांटी नियमानुसार की गई है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/36-86/17616.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० गोदावरी इन्टरप्राईजिज लि०, 19 कि०मि०, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री जगदम्बा प्रसाद, मार्फत हिन्द मजदूर सभा, 29, शहीद चौक, फरीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 54/15-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फ़रवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फ़रीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री जगदम्बा प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ।

जे० पी० रतन,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
BUILDINGS AND ROADS BRANCH
Bhiwani Circle

The 15th May, 1986

No. Z-42-A/IV/447 B.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be required to be taken by Government, at the public expense, for a public purpose, namely, constructing approaches to proposed Railway over bridge in replacement of existing level crossing no. 51-C Bhiwani-Loharu Road, it is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be required for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorise the officer for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within thirty days of the publication of this notification, file an objection in writing, before the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Bhiwani.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in acres	Khasra No.
1	2	3	4	5	6
Bhiwani	Bhiwani	Bhiwani	Jonpal	0.26	443, 444, 947 125 / 27

(Sd.)
Superintending Engineer,
Bhiwani Circle, P.W.D., B. & R. Branch,
Bhiwani.